आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –291 / 2022

रविरंजन कुमार

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
02.03.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–24183 / 2019 में दिनांक 20.10.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समति के आदेश ज्ञापांक 208 दिनांक–24.08.2019 को लिए गए निर्णय के विरूद्ध दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 20.10.2022 में अंकित है कि:– ***"However, considering the nature of dispute, referred to above and in view of the notification dated 21.07.2022 issued by the goverment of Bihar in exercise of the powers conferred under Section 3 and 5 of the Bihar Targeted Public Distribution System (Control) Order, 2016, we direct that in the event of the petitioner making a suitable representation/complaint before the concerned Divisional Commissioner within a period of 30***	

WEB COPY NOT OFFICIAL

days, he shall look into the matter and after hearing all the stakeholder, including Respondent No. 9, shall pass a final order within a further period of 90 days, giving reasons in support of the decision taken by him."

उपर्युक्त के आलोक मे वाद को अधिग्रहित कर संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख की माँग की गई एवं पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विशेष लोक अभियोजक को सविस्तार सुना।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता अनुज्ञप्ति हेतु सभी अर्हता को पूरा करता है। पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी सं0–05 (कृष्ण कुमार पासवान) दोनो ने अनुसूचित जाति के रिक्ति पर आवेदन किया। विपक्षी सं0–05 के आवेदन की जाँच में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया था की आवेदक (विपक्षी सं0–05) के नाम से उर्वरक के दुकान की अनुज्ञप्ति है एवं पुनरीक्षणकर्ता के आवेदन को अनुज्ञप्ति हेतु अनुशंसा कर दिये थे। दिनांक 04.09.2018 को चक्रिया अनुमंडल से संबंधित सभी पंचायतो का मेधा सूची जिला के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया परंतु ग्राम पंचायत–मुहम्मदपुर मझौलिया का नहीं किया गया था। ग्राम पंचायत–मुहम्मदपुर मझौलिया का मेधा सूची अपलोड नहीं किया गया था। पुनरीक्षणकर्ता जब कार्यालय से संपर्क किया तो मेधा सूची की जानकारी हुई जिसमें क्रमांक 02 पर पुनरीक्षणकर्ता का नाम एवं क्रमांक 01 पर विपक्षी सं0–05 का नाम अंकित था एवं पुनरीक्षणकर्ता के इंटर का अंक संबंधित कॉलम में अंकित नहीं था। इनका दावा है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 27.06.2019 को लिये गये निर्णय में विपक्षी सं0–05 के ***"अनुशंसा का कारण"*** के कॉलम में खाली स्थान छोड़ दिया गया है अर्थात उनके लिये अनशंसा नहीं किया गया है फिर भी उनका चयन कर लिया गया है, जो गलत है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

विपक्षी सं0–05 के द्वारा दिनांक 08.02.2023 को लिखित रूप से आवेदन देकर बताया गया है कि उनके (विपक्षी सं0–05) द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकान से पूर्व में त्याग पत्र दे दिया है। अगर इस दुकान को किसी भी अन्य व्यक्ति को जनवितरण प्रणाली का दुकान मिलता है तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के अनुसार जिला स्तरीय चयन ने योग्यता के आधार पर विपक्षी संख्या–05 (कृष्ण कुमार पासवान) का चयन किया है, जो नियमानुकूल है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुनने, वाद अभिलेख एंव निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी संख्या–05 (कृष्ण कुमार पासवान) दोनो इंटरमिडिएट है एवं अनुसूचित जाति से है। अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के अभिलेख में रक्षित पुनरीक्षणकर्ता के इंटरमिडिएट के अंक पत्र संख्या–45401 एवं विपक्षी संख्या–05 के इंटरमिडिएट के अंक पत्र संख्या–A141723 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या–05 (कृष्ण कुमार पासवान) का अंक पुनरीक्षणकर्ता के अंक से अधिक है। जिला स्तरीय चयन समिति ने विपक्षी संख्या–05 का चयन किया है। चयन के बाद श्री सुधन राम द्वारा विपक्षी संख्या–05 के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया के समक्ष परिवाद दिया गया कि श्री कृष्ण कुमार जन वितरण प्रणाली विक्रेता के अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालय कोदरकाटा में शिक्षक के पद पर भी कार्यरत है। उक्त परिवाद के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया ने विपक्षी संखया–05 से स्पष्टीकरण करते हुए उनके (श्री कृष्ण कुमार पासवान) दुकान को एक अन्य विक्रेता श्री धर्मेन्द्र प्रसाद कुशवाहा से संबंद्ध कर दिया।

WEB COPY NOT OFFICIAL

जहॉ तक पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि ग्राम पंचायत महम्मदपुर मझौलिया का मेधा सूची प्रकाशित नहीं किया गया, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उनके इस दावे का खंडन अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया द्वारा दावा/आपत्ति में किया जा चुका है ।

अब जहॉ तक पुनरीक्षणकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि विपक्षी संख्या–05 (कृष्ण कुमार पासवान) को उर्वरक की अनुज्ञप्ति प्राप्त है, तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि **बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016** में कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि जिनके पास उर्वरक की अनुज्ञप्ति हो उन्हें जन वितरण प्रणाली हेतु अनुज्ञप्ति नहीं दिया जा सकता है, साथ ही इस संबंध में सुनवाई के दौरान पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से पूछे जाने पर उन्होने भी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे की उनके इस दावे को मान लिया जाये। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला चयन समिति के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL